

Regarding setting up of displacement and rehabilitation tribunal for displaced persons in Jharkhand-laid

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी (गिरिडीह): झारखंड राज्य में कोयला का सबसे बड़ा भंडार है । और वर्षों से झारखंड कोयला उत्पादन भी सबसे ज़्यादा करता आया है । इसकी वजह है क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयला खदान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 के तहत कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण के बाद से झारखंड क्षेत्र में विभिन्न कोयला खदानों की स्थापना की गई और वहाँ के स्थानीय लोगों की ज़मीन पर खदान और प्रोजेक्ट चालू कर लोगों को विस्थापित कर दिया गया । और सही विस्थापित नीति नहीं होने के कारण आज भी झारखंड विस्थापन का दंश झेल रहा है । कहने को तो झारखंड में खज़ाना है लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग आज भी गरीब है और बुनियादी सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहे है । झारखंड के कोयले से पूरा देश रोशन हो रहा है, लेकिन झारखंड में दिया तले अंधेरा जैसी स्थिति है । माननीय कोयला मंत्री जी से मेरा यही आग्रह है कि विस्थापितों के हक़ और अधिकार के लिए, उनकी हितों की रक्षा के लिए विस्थापित ट्रिब्यूनल बनाया जाए ।